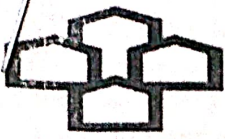


IS 15700:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय- अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड- कानपुर-02

5सी-111 योजना संख्या-02 हंसपुरम् कानपुर

Email ID :- ceed18@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो



IS



पत्र संख्या

1950 /

S-1

1106

दिनांक 15/12/2025

अल्पकालीन ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी फर्मों/ठेकेदारों से निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्माण कार्य हेतु आनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कानपुर-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। कार्य की मात्रा बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी।

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) जी0एस0टी0 अतिरिक्त	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य समस्त कर सहित (रु में)	निविदा पद्धति	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
01	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत हंसपुरम् योजना संख्या-02 कानपुर के सेक्टर-1ए एवम् 1बी तथा सेक्टर-5बी में आन्तरिक सड़को की मरम्मत का कार्य एवम् किदवई नगर के संजय वन के पाथवे में इण्टरलाकिंग लगाने का कार्य/शेड का कार्य/स्टील रेलिंग/बाउन्ड्रीवाल/ लाईटपोल/डस्टबिन इत्यादि का कार्य।	160.00	3.20	4500.00+810.00 (18 % GST) 5310.00	टू बिड	06 माह

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	16.12.2025 (06:00 PM)
Document Download End	30.12.2025 (03:00 AM)
Bid Submission Start	16.12.2025 (06:00 PM)
Bid Submission Closing	30.12.2025 (03:00 PM)
Technical Bid Opening	31.12.2025 (12:00 PM)
Financial Bid Opening	To be Notify Later After Evaluation of technical Bid)
Pre Bid Meeting	At EE CDKapur-02 Time 4.00 PM Date 23.12.2025

ई-निविदा हेतु नियम व शर्तें

- निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन की वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाईट देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।
- ई-निविदा प्रपत्र एवम् धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यू0टी0आर0 के नम्बर की हस्ताक्षरित छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। फर्म द्वारा धरोहर धनराशि एवम् निविदा शुल्क की पुष्टि बैंक से होने के पश्चात ही निविदा पर विचार किया जाएगा।

ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार दिनांक 29.12.2025 के प्रातः 06.00 बजे तक कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। जनरल सिक्योरिटी जमा होने पर अपेक्षित सिक्योरिटी से कम होने पर अंतर धनराशि धरोहर धनराशि के रूप में निम्न बैंक खाते में उक्त नियत तिथि व समय तक जमा करना अनिवार्य होगी। खाते का विवरण निम्नवत् है-

Concerning Division Office	:-	Executive Engineer, Construction Division Kanpur-02 Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Kanpur.
Name of Bank	:-	HDFC Bank, Hamirpur Road, Naubasta Kanpur.
Name of Account Holder	:-	EXE ENG CD KNP 02 LA UPAEVP KANPUR
A/c No.	:-	50100482117219
IFSC	:-	HDFC0009347

4. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रॉयल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
5. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर ले क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य न होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
8. निविदादाता/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक कैनरा बैंक को छोड़कर से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, कानपुर-2, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप में माफिया गतिविधियाँ, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर/जमानत धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता/फर्म द्वारा दिये गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जाएगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0 4, टी0 5, अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
12. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 एवम् लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। निविदादाता/फर्म के सभी देयकों से कार्य की लागत पर आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0(टी0डी0एस0), रॉयल्टी एवम् अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जाएंगे की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
13. निविदादाता द्वारा दी गयी दरों में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त समस्त अन्य कर सम्मिलित माने जाएंगे। सम्बन्धित फर्म को मात्र जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जाएगा एवम् फर्म के देयको से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती कर भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया जाएगा।
14. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि का अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।
15. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराए जाएंगे तथा केवल परिषद में अनुमोदित ब्रान्ड/मेक की सामग्री का ही प्रयोग किया जाएगा।
16. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
17. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
19. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

कार्य के अन्तिम बीजक का भुगतान कार्य सम्बन्धित विभाग को गुणवत्तापूर्वक हस्तगत किये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
निविदा की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद कानपुर नगर होगा।

22. निविदादाता को इस प्रकार के कार्यों का सन्तोषजनक सम्पन्न करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है।
23. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
24. शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2/ऑडिट/08 टी.सी.-2/दिनांक 08.06.2012 एवम् आवास एवम् विकास परिषद के मुख्यालय के पत्र संख्या 1282/एम0-2 दिनांक 02.04.2013 के अन्तर्गत निविदा की दर बी0ओ0क्यू0 (Below) होने पर ठेकेदार द्वारा परफार्मेन्स/अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक गारण्टी के रूप में नियमानुसार देय होगी। उक्त परफार्मेन्स/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुरार अवमुक्त की जाएगी।
25. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल के आस पास निर्मित इमारतें/भवनों की सुरक्षा सम्बन्धी शपथ पत्र रु० 100 नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।
26. निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा तथा कार्यस्थल में परिवर्तन होने पर उपरोक्तानुसार निविदादाता को परिवर्तित कार्यस्थल मान्य होगा।
27. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
28. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से कम से कम 3 माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित निविदा के साथ रु० 100.00 का नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर रु० 1.00 का रेवेन्यू स्टॉम्प हस्ताक्षरित करते हुये निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
29. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण एवं हस्तान्तरण होने के पश्चात् तीन वर्ष होगी तथा यह धनराशि कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत धनराशि कैश/एफ0डी0आर0 के रूप में रोकी जायेगी एवं उक्त धनराशि डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अवमुक्त की जाएगी।
30. शासनादेश संख्या-3385-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी प्रपत्र जमा नहीं करती है तो शासनादेश संख्या 243/86-2016/77 टी0सी0-11 लखनऊ दिनांक 19.01.2016 में उल्लिखित दरों में निर्धारित रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जाएगी। रायल्टी का भुगतान शासनादेश संख्या 1360/86-2020-52(स0)/2019 दिनांक 05.08.2020 के अनुसार सत्यापन कर वैद्य होने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
31. निर्माण कार्य हेतु मृदुजल की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।
32. उक्त कार्य जनपद कानपुर एवम् परिषद योजना में कराया जाना है। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रशासन से सम्पर्क कर विवाद का निस्तारण कराते हुये कार्य कराया जाना होगा, का शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड करना होगा।
33. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
34. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
35. वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड NGT/TIM की निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार किया जाना होगा, जिसका शपथ पत्र संलग्न किया जाना होगा।
36. कार्य में प्रयुक्त सैंम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक के बीजको से की जाएगी।
37. बिटुमिनस सड़को के निर्माण कार्य हेतु निविदादाता द्वारा हॉट मिक्स प्लान्ट से सम्बन्धी प्रपत्र, याँछित मैटेरियल गुणवत्तायुक्त एवम् आवश्यकतानुसार समय पर उपलब्ध कराया जाएगा, से सम्बन्धित शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाएगा।
38. निविदा अपलोड करने से पूर्व मांगे गये समस्त प्रपत्र चेक लिस्ट के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए तथा जो भी प्रपत्र/दस्तावेज अपलोड किये जाएं, वह पठनीय होना चाहिए। अपठनीय प्रपत्र पाये जाने पर निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
39. ई-निविदादाता द्वारा कार्य से सम्बन्धित समान कार्य (सिविल/विद्युत) का अनुभव अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा, तदुपरान्त ही निविदा पर विचार किया जाएगा।
40. सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगत कराने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी जिसके उपरांत ही अंतिम देयक का भुगतान किया जाएगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
41. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

- कार्य की प्राथमिकता के अनुसार परिषद मुख्यालय से समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जयेगा।
43. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों पर प्राप्त न होने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
44. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात नियमानुसार लेबर सेस हेतु श्रम विभाग से अनुबन्ध का पंजीकरण कराना होगा।
45. सशर्त अथवा प्रतिबंधित निविदा मान्य नहीं होगी।
46. उक्त कार्य में विद्युत सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे सम्बन्धित शपथ पत्र एवम् विद्युत लाईसेन्स धारक के प्रपत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना होगा।
47. कार्य कराते समय जनमानस के सुगम एवम् सुरक्षित यातायात हेतु साईन बोर्ड लगाना एवम् यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना होगा जिस हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापति प्रमाण पत्र एवम् यातायात डायवर्जन हेतु आने वाले व्यय को ई-निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर वहन करना होगा का शपथ पत्र अपलोड किया जाए।
48. कार्य हेतु ई-निविदादाता/फर्म को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, कार्य को कराते समय, कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ई-निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का शपथ पत्र ई-निविदा के साथ संलग्न किया जाए।
49. उक्त कार्य हेतु यथाआवश्यक वैधानिक अनापतियां एवम् पर्यावरण किल्यरेन्स (सम्बन्धित विभाग से) आदि से निविदादाता/फर्म द्वारा अपने व्यय पर परिषद के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा, जिस हेतु शपथ पत्र ई-निविदा में अपलोड किया जाएगा।
50. उक्त कार्य हेतु ई-निविदादाता/फर्म को कार्य कराते समय वर्तमान में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं (जलापूर्ति/सीवर/विद्युत आपूर्ति) के क्षतिग्रस्त होने पर अपने व्यय पर मरम्मत कराने का शपथ पत्र ई-निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा।
51. निविदादाता की बिड पर समान कार्य जो कि निविदा में उल्लिखित है, का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने के उपरान्त ही विचार किया जाएगा।
52. निविदादाता द्वारा बिड से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र जो निविदा की बिड के साथ अपलोड है, पर हस्ताक्षरोपरान्त फर्म की सील लगाते हुये फर्म के अन्य प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

अतिरिक्त शर्त:-

- 1- फर्म द्वारा कार्यस्थल पर तकनीकी स्टाफ (डिप्टी/डिप्लोमा धारक) की तैनाती अनिवार्य रूप से करनी होगी, जिसका शपथ पत्र भी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगा। परिषद के उच्चाधिकारियों, व जिलाप्रशासन द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षणों में तकनीकी स्टाफ की अनुपस्थिति की स्थिति में बीजकों से तकनीकी स्टाफ के मासिक वेतन (₹0 35000.00 प्रति माह डिप्टी होल्डर हेतु व ₹0 25000.00 प्रति माह डिप्लोमा होल्डर हेतु) की कटौती की जाएगी।
- 2- फर्म द्वारा तकनीकी बिड के एनेक्जर-8 में विभिन्न विभागों/कार्यालयों में किये गये/जा रहे (Completed/Running) कार्यों की Summary को एनेक्जर-8 की पृथक पृथक प्रतियों में सृजित कर विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, तदनुसार ही एनेक्जर-8 (विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा निर्गत) अर्हय माना जाएगा।

भवदीय

(इं० मिश्री लाल)

अधिशाली अभियन्ता

15/12/2025

पत्र सं.- 1950 /S-1 /106 दि. 15/12/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (म०), उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर वृत्त, उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, ऑफिस कामप्लेक्स, कल्यानपुर कानपुर।
- 3- अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड कानपुर-01/03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद कानपुर/इटावा।
- 4- अधिशाली अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सूचना परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 5- सहायक अभियन्ता-प्रथम/श्री भुवनेश पचौरी अवर अभियन्ता/कनिष्ठ लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता (तक०), निर्माण खण्ड कानपुर-02, उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, कानपुर।
- 6- पटल सहायक/दफ्तरी निर्माण खण्ड कानपुर-02, उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित पत्रावली में चस्पा करना सुनिश्चित करें।
- 7- नोटिस बोर्ड।

अधिशाली अभियन्ता

15/12/2025